

UPBH010010402026



न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), बहराइच।

मु०सं०-296/2026

मु०अ०सं०-1109/2022

सरकार -----बनाम-----नीलम

धारा-135-1(सी) वि०अधि०

थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहारइच।

10-03-2026

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्ता नीलम पत्नी अजय यादव की तरफ से प्रार्थना-पत्र मय शमन शुल्क/राजस्व निर्धारण जमा रसीद प्रस्तुत किया गया है एवं विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। कोई बकाया शेष नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा शमन शुल्क धनराशि-8,000/- रुपए, राजस्व निर्धारण के रूप में मु०-51,416/- रुपए व मु०-11,426/- रुपए विभाग में जमा कर दिया गया है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 की उपधारा-3 के तहत अपराध को प्रशमनित मानते हुए अभियुक्ता दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता नीलम पत्नी अजय यादव को मुकदमा अपराध संख्या-1109/2022 अन्तर्गत धारा-135-1(सी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना- एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहराइच से दोषमुक्त किया जाता है। यदि इस प्रकार अभियुक्ता नीलम पत्नी अजय यादव पर विद्युत विभाग का कोई अन्य देय अवशेष हो तो विद्युत विभाग उक्त अभियुक्ता से नियमानुसार वसूलने/कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

बहराइच।

J.O. Code-6414